

S No 7 R)

ज्ञापांक 329 / एस0सी0 / एए
अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, ..

रॉची दिनांक 22. 5/09

9

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार सिन्हा,
पुलिस महानिरीक्षक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

सेवा में,

श्री रमेश चन्द्र दुर्गा,
निदेशक,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
छठी मंजिल बी0विंग लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली- 11000.

प्रसंग :- आपके कार्यालय का पत्र संख्या झारखण्ड 05/अत्याचार/07/आर0यू0-
दिनांक 22.04.2009 .

विषय :- आदिवासी परिवार को जान से मारने की धमकी एवं सपरिवार जमीन छोड़
भाग जाने की चेतावनी संबंधी श्री भानू मांझी, ग्राम डिमना बस्ती,
थाना एम0जी0एम0, टाउन जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड का
अभ्यावेदन ।

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सुचित
है कि धनबाद (झारखण्ड) थाना काण्ड सं0 382/07 के वादी श्री दुलाल मुण्डा पे0
मुण्डा सा0 नई दुनिया, थाना झरिया, जिला धनबाद है और इनके नालशी आवेदन के
उपर्युक्त काण्ड दो नामजद अभियुक्त (1) अब्दुल हमीद एवं मो0 जमालउदीन के विरुद्ध :
किया गया है ।

अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय का ज्ञापांक 71/एस0सी0/एस0टी0 दिनांक 22.1
के द्वारा सूचना दी गयी थी कि उपर्युक्त काण्ड अनुसंधान एवं पर्यवेक्षणोंपरान्त 18
448/323/387/504/506/34 भा0द0वि0 एवं 3 (I), (X) अनु0जा0/ज0जा0 अत् 18
निवारण अधि0 एवं 3/4 मनी लैडींग एक्ट के अन्तर्गत उपर्युक्त दोनों नामजद अभियुक्त 18
विरुद्ध सत्य एवं आरोप-पत्र का साक्ष्य पाया गया है तथा दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी 18
लगातार छापामारी की जा रही है ।

प्रसंग में अंकित पत्र में इस कार्यालय के ज्ञापांक 71/एस0सी0/एस0टी0 दि-
22.01.08 का हवाला देते हुए पत्र में उल्लेख किया गया है कि आदिवासी परिवार को जान
मारने की धमकी एवं सपरिवार जमीन छोड़कर भाग जाने की चेतावनी संबंधी श्री भानू म
ग्राम डिमना बस्ती, थाना एम0जी0एम0 टाउन जमशेदपुर, जिला सिंहभूम का अभ्यावेदन प्र
हुआ है ।


22/5/09

डी.डी. (आर.एस.)

अद्यतन स्थिति के अनुसार धनबाद थाना काण्ड सं० 382/07 में न तो काण्ड के वादी और न ही अभियुक्त के श्रेणी में श्री भानू मांझी ग्राम डिमना वस्ती, थाना एम०जी०एम० टाउन जमशेदपुर, जिला सिंहभूम है। जहाँ तक उपर्युक्त काण्ड में दोनों की नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रश्न है, दोनों ने ही न्यायालय में आत्म समर्पण किया तदनुसार दोनों के विरुद्ध आरोप -पत्र सं 242/08 दिनांक 30.04.08 समर्पित किया जा चुका है।

अनुरोध है कि श्री भानू मांझी ग्राम डिमना वस्ती, थाना एम०जी०एम० टाउन जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम में कृपया जानकारी देना चाहेंगे की उक्त व्यक्ति का संबंध किसी मामले से है ?
स्थिति स्पष्ट होते ही तदनुसार प्रतिवेदन समर्पित किया जायगा ।

विश्वासभाजन


(अशोक कुमार सिन्हा)

प्रतिलिपि :- श्री चन्द्रमणि प्रसाद, गृह विभाग, झारखण्ड सरकार के अवर सचिव को उनका पत्र संख्या 7/एस०सी०/एस०टी०-17/2009-2048 दिनांक 21.05.09 को में कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।